राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 26/2024

अपीलांटः–	**बनाम**	**रेस्पोडेंटः –**
1. श्री नीरज अन्याव पुत्र श्री नवरतनजी, जाति ओसवाल निवासी वर्धमान आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल के पास बालोतरा 344022		1 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

आदेश

दिनांक 22.10.2024

अपीलार्थी श्री नीरज अन्याव पुत्र श्री नवरतनजी जाति ओसवाल निवासी वर्धमान आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल के पास बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 25.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना हेतु कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/2175 दिनांक 07.10.2024 को संबंधित पत्र/पत्रावली अपने–अपने शाखा में उपलब्ध रेकर्ड में गहन तलाशी/खोज हेतु कार्यालय हाजा के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया था। कार्यालय हाजा के राजस्व शाखा, राजस्व कोर्ट, न्यायिक, निवाचन, वसूली, सहायकता, संस्थापन/भंडार सभी शाखाओं के प्रभारी से लिखित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 637 के पट्टा विलेख प्रकरण संख्या 215/89 नवरतन पुत्र घेवरचंद व प्रकरण संख्या 216/89 महेंद्र पुत्र घेवरचन्द से संबंधित पत्रावली तलाशी/खोज के दौरान नहीं पाये गये है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिसमें यह बताया कि है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई सूचना उपखण्ड कार्यालय बालोतरा के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/2175 दिनांक 17.10.2024 के अनुसार कार्यालय में तलाश करने पर भी उक्त सूचना संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं होता। इसके अलावा भी चाही गई सूचना अपीलार्थी द्वारा प्राप्त करना जरूरी मानते हैं तो अपीलार्थी कार्यालय के नियत समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर विनिश्चय पेश करते हुए उपखण्ड कार्यायल बालोतरा में उपलब्ध सूचना का चिहनीकरण कर सूचना प्राप्त करे।

अत अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलेक्टर बालोतरा